राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल नं. :एम.एस./3403/सिवनी/म.प्र./12/09/जी.आर.

विषयः—डॉ. रामेश्वर उरांव, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.8.2014 से 13.08.2014 तक क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई विभिन्न प्रकरणों से संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त का प्रेषण।

श्री सकल भान शाह इनवाती, सहायक यंत्री (सिविल), प्रभारी कार्यपालन यंत्री (सर्तकता) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. (सं./सं.) वृत्त सिवनी को तत्कालीन म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के बैकलॉग पदों के विरूद्ध कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति दिलाये जाने बाबत् डॉ. रामेश्वर उरांव , माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 11.8.2014 को अपरान्ह 03.00 बजे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में ली गई बैठक का कार्यवाही विवरण।

1. दिनांक 11.8.14 को अपरान्ह 03.00 बजे डॉ. रामेश्वर उरांव, मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा उपरोक्त विषय पर बैठक ली गई जिसमें श्री मो. सुलेमान, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग, श्री मनु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, श्री बी.पी. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक (CC), म.प्र.पू.क्षे.वि.वि. कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, विजेन्द्र नानावटी, प्रबंध संचालक (उत्पादन), एम.पी.पी.जी. सी.एल., श्री वाई.के.शिल्पकार, प्रांतीय अध्यक्ष, म.प्र. विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, श्री एस.के.सचदेव, प्रांतीय महासचिव, म.प्र. विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ तथा आवेदक श्री सकलभान शाह इनवाती उपस्थित हुये।

2. मा. अध्यक्ष ने आवेदक से उनके प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही। आवेदक ने बताया कि बॅटवारे से पूर्व वर्ष 2010 में तत्कालीन म.प्र. राज्य विद्युत मंडल में अनुसूचित जनजाति के कार्यपालन यंत्री के बैकलॉग के 16 पद रिक्त थे। मंडल के स्थान पर एम.पी. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लि., एम.पी.पावर.ट्रान्समिशन कंपनी लि., एम.पी. पावर जनरेटिंग कंपनी लि., म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., एम.पी. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. एवं एम.पी. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. का गठन किया गया है। इन बैकलॉग पदों का बॅटवारा उत्तरवर्ती कंपनियों में नहीं किया गया। उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा इन 16 पदों में से बैकलॉग के केवल 3 पद ही भरे गये हैं। यदि मंडल ने पदों का बॅटवारा करते समय कार्यपालक यंत्रियों के बैकलॉग पदों की संख्या, पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ग के सहायक यंत्रियों की उपलब्धता तथा वरिष्ठता का ध्यान रखा होता तो पदों का बॅटवारा भी उसी अनुपात से उन नई कंपनियों में किया जा सकता था जहां अधिक सहायक यंत्री, कार्यपालन यंत्री के पद पर पदोन्नति के लिये उपलब्ध हों। जैसे म.प्र. विद्युत जनेरशन कंपनी में अनुसूचित जनजाति का केवल एक सहायक यंत्री उपलब्ध था किन्तु वहॉ कार्यपालन यंत्री के 9 पद आवंटित कर दिये गये। इस प्रकार वहॉ पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जनजाति के सहायक यंत्री उपलब्ध ही नहीं हैं। कार्यपालन यंत्री के पदों का युक्तियुक्त तरीके से बॅटवारा न किये जाने के कारण उन्हें पदोन्नति का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आवेदक ने यह भी बताया कि श्री प्रेमलाल रांधेय, जो सहायक यंत्री से

Rameshwar Oraon
डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

कार्यपालन यंत्री के पद पर आवेदक की कंपनी में ही कार्य कर रहे हैं, ने अपनी पदोन्नति के पूर्व ही म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी में जाने का विकल्प भरा था तथा म. प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी में कार्यपालन यंत्री के पद भी रिक्त हैं। यदि श्री प्रेमलाल रांधेय को उनके अनुरोध पर म.प्र. विद्युत उंत्पादन कंपनी में पदस्थ कर दिया जाता है तो म.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में रिक्त हुये पद पर उनकी पदोन्नति संभव हो सकती है।

3. मा. अध्यक्ष महोदय ने प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग से पूछा कि कंपनी में कार्यपालन यंत्रियों के पदों का बॅटवारा कैसे किया गया। प्रमुख सचिव ने बताया कि पदों के बॅटवारे से पूर्व सभी सहायक यंत्रियों को यह विकल्प देने का अवसर दिया गया था कि वे किस कंपनी में पदस्थ होना चाहते हैं। इसके बाद ही कंपनियों में पदों का बॅटवारा किया गया।

4. मा. अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यदि कार्यपालन यंत्री के इन 16 बैकलॉग पदों को पदोन्नति द्वारा भरकर उत्तरवर्ती कंपनियों में अधिकारियों का बॅटवारा किया गया होता तो आवेदक भी पदोन्नत हो गया होता। अनुसूचित जनजाति के सभी सहायक यंत्रियों की पदोन्नति तभी की जानी चाहिये थी। किन्तु सहायक यंत्री से कार्यपालक यंत्री के बैकलॉग पदों पर पदोन्नति किये बिना अधिकारियों का उत्तरवर्ती कंपनियों में बॅटवारा किये जाने के कारण आवेदक अपनी नई कंपनी में भी पदोन्नति से वंचित हो गया क्योंकि उसकी कंपनी के नये सेट अप में पदों की संख्या कम थी एवं वह अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पदो के कम होने के कारण पदोन्नत नहीं हो पाया जिसका मुख्य कारण यह था कि उसकी कंपनी में उससे वरिष्ठ अनुसूचित जनजाति के दो सहायक यंत्री पहले से मौजूद थे जिन्हें पदोन्नति दी गई है। इस प्रकार आवेदक को दो बार पदोन्नति नहीं मिल सकी।

5. मा. अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि आवेदक की पदोन्नति के मामले में निम्नानुसार कार्रवाई कर उन्हें पदोन्नति दी जा सकती है:

क. जैसा कि आवेदक ने बताया है कि श्री प्रेमलाल रांधेय, जो सहायक यंत्री से कार्यपालन यंत्री के पद पर आवेदक की कंपनी में ही कार्य कर रहे हैं, ने अपनी पदोन्नति के पूर्व ही म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी में जाने का विकल्प भरा था तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी में कार्यपालन यंत्री के पद भी रिक्त हैं। यदि श्री प्रेमलाल रांधेय को उनके अनुरोध पर म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी में पदस्थ कर दिया जाता है तो म.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में रिक्त हुये पद पर श्री सकलभान इनवाती को पदोन्नत किया जा सकता है।

ख. यदि उपरोक्तानुसार व्यवस्था नहीं की जा सकती है तो म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. में ही अतिरिक्त पद स्वीकृत कर आवेदक को पदोन्नति दी जाये।

ग. इस कार्य में किसी तरह की कानूनी जटिलता नहीं आनी चाहिये तथा आवेदक को पदोन्नति का लाभ दिया जाये।

घ. यह कार्य एक माह के भीतर पूर्ण हो जाना चाहिये।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उरांव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

6. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग ने आश्वासन दिया कि आयोग की सलाह पर गंभीरता पूर्वक विचार कर आवेदक की पदोन्नति के बारे में शीघ्र कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराया जायेगा।

7. यह बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

Rameshwar Oraon

डा. रामेश्वर उराँव
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

उपस्थिति – पत्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,

1. डॉ. रामेश्वर उरांव, मा. अध्यक्ष।
2. श्री आर.के.दुबे. सहायक निदेशक, भोपाल।
3. सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, भोपाल।

भोपाल प्रशासन विभाग म0प्र0 शासन

1. श्री सुलेमान, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग।
2. श्री मनु श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी ।
3. श्री बी.पी. श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक (CC) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लिमिटेड जबलपुर।
4. श्री विजेन्द्र नानावटी, प्रबंध संचालक (उत्पादन) एम.वी.पी.जी.सी.एल. ।

आवेदक

1. श्री सकलभान शाह इनवाती।
2. श्री.एस.के.सचदेव, प्रांतीय महासचिव, म.प्र. विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ।
3. वाई.के.शिल्पकार, प्रांतीय अध्यक्ष, म.प्र. विद्युत आरक्षित वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ।